विज्ञप्ति / सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद एवं तालुका विधिक सेवा समिति, गाजियाबाद के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों एवं अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं/कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर 10 एवं तालुका स्तर पर 5-5 पैनल अधिवक्ता के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैः-

विधि व्यवसायी/अधिवक्तागण बार काउंसिल से पंजीकृत को न्यूनतम तीन वर्षो का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है।

नोटः-

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड झ में यथा परिभाषित है।
2. पैनल, सिविल, दाण्डिक, राजस्व, श्रम विधि, वैवाहिक वाद, किशोर न्याय आदि के लिए पृथक-पृथक तैयार किये जाएंगे।
3. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो कुल तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
4. पैनल अधिवक्तागण का पैनल बनाते समय एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का अनुपातिक स्थान प्रदान किया जाएगा।
5. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
6. आवेदक जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहा है, उसे उस वर्ग के ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय संलग्न करने होंगे जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गयी हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया गया हो।
7. पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में बैठकर विधिक सेवा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना होगा।
8. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा और ऐसे किसी भी प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें विरूद्ध पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गयी है।
9. आवेदक इस तथ्य की अण्डर टेकिंग देगा कि वह पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उसके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के कियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठापूर्वक पालन करेगा। पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किये जायेंगे उनसे संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नही करेगा।
10. पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उनके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं उनके अन्तर्गत बनायी गयी योजनाओं के कियान्वयन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तो के अधीन विधिक सेवाऐं प्रदान करेंगे।
11. पैनल अधिवक्तागण को शुल्क एवं मानदेय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2010 एवं इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
12. निर्देशित कार्य में लापरवाही बरते जाने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2010 के नियम-8 के बिन्दु सं0-15 में वर्णित प्राविधान के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं की सेवाऐं समाप्त की जा सकती हैं।

इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में मय दस्तावेज सहित स्वयं अथवा डाक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद में दिनांक 08.01.2025 की सायं 05.00बजे तक प्रस्तुत करना होगा, परन्तु उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर कम से कम 40 रूपये की डाक टिकट चस्पा हो संलग्न करना होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समिति को अधिकार होगा कि वह आवेदक का आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त कर सकती है।

दिनांकः-

19/12/24

(कुमार मिताक्षर)
अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद

संलग्नः- आवेदनपत्र व अण्डरटेकिंग का प्रारूप।

प्रतिलिपिः-

1. कम्प्युटर अनुभाग, जिला न्यायालय, गाजियाबाद को जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराए जाने हेतु
2. सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति, सदर, मोदीनगर, लोनी गाजियाबाद।
3. बार एसोसिएशन गाजियाबाद को इस को इस आशय से प्रेषित की बार के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा की जाए।
4. नजारत विभाग, जनपद न्यायालय को इस आशय से प्रेषित की नजारत विभाग के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा की जाए।

विज्ञप्ति

"प्रारूप–क"

पैनल अधिवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1	नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता	
4	मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी.	
5	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)	
6	वकालत का मुख्य स्थान	
7	एनरोलमेन्ट नम्बर (वर्ष सहित)	
8	वकालत के अनुभव की अवधि (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
9	वकालत का विनिर्दिष्ट क्षेत्र विशेष योग्यता/विषय (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)	
10	वार्षिक आय	
11	ऐसे मामलों का प्रकार जिसके संबंध में आपको मामला सौंपे जाने से अधिमान्यता (Preference) दी जा सके (इस सम्बन्ध में वृतिक (Professional) अनुभव का साक्ष्य व पांच निर्णयों की प्रति संलग्न करें।)	
12	क्या आप स्वयं किसी न्यायिक प्रकरण में किसी न्यायालय या लोक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पक्षकार है या रहें हैं? (यदि हॉं तो विवरण दें)	
13	क्या आप बार काउन्सिल या बार एसोशिएशन के किसी पद पर हैं अथवा रहें हैं? (यदि हॉं तो विवरण दें)	
14	क्या आप पैनल अधिवक्ता के रूप में विधिक सेवाओं के प्रचार–प्रसार की टीम में सम्मिलित होना चाहतें हैं?	
15	क्या आप रिटेनर अधिवक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस पर पक्षकारो को निःशुल्क विधिक सहायता देना चाहते हैं?	
16	क्या आप बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होकर बेल/रिमाण्ड के समय अपनी सेवायें देने हेतु तैयार हैं?	
17	क्या आप विधिक सहायता के अधीन प्रकरण केस टू केस बेसिस पर (Lgal Aid) अधिवक्ता नियुक्त होकर प्रकारण के निर्णय तक कार्य करने हेतु तत्पर हैं?	
18	अन्य कोई जानकारी आप देना चाहें।	

मैं यह वचन देता हूँ कि उपरोक्त जानाकरी पूर्णतः सत्य है और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है यदि उपर्युक्त जानकारी में कुछ गलत पाये जाने पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है तो आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांकः–

स्थानः–

संलग्नकः– 1. अण्डर टेकिंग प्रमाण–पत्र।

2. अनुभव प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र।(प्रकरण/विषय विशेष की रूचि के उल्लेख सहित)

3. 05 निर्णयों की प्रतियॉं।

4. स्वयं का पता लिखा लिफाफा मय डाक टिकट।

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

अण्डर टेकिंग

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी...
एनरोलमेंट नम्बर.............................. अण्डर टेकिग देता हूँ/दूती हूँ कि मैं पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उसके तहत बनाये गये नियन, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के कियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा/करूंगी। पैनल/रिटेनर/विधिक सहायता अधिवक्ता के रूप में जो प्रकरण मुझे पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा सुपुर्द किये जावेंगे उनसे संबंधित व्यक्तियों से किसी प्रकार का शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मॉग नहीं करूंगा/करूंगी और न ही प्राप्त करूंगा/करूंगी।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि ऐसे किसी भी प्रकरण में पैरवी नहीं करूंगा/करूंगी, जिनमें विरूद्ध पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गयी हो।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राकधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा जो विधिक सेवा, जन जागृति, प्रशिक्षण एवं अन्य जनोपयोगी कार्यकम आयोजित किए जायेंगे, उनमें उपस्थित रहूँगा/रहूँगी।

दिनांकः—

स्थानः—

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर

विज्ञप्ति